

8

**Inspection / Action taken report
in the matter of O. A. No. 539/2022 (cz),
Omaram Banjara v/s State of Rajasthan**

In reference to the Hon'ble National Green Tribunal order dated 05.09.2022, in the matter of O.A. No. 539/2022 (cz), "Omaram Banjara Versus State of Rajasthan", **regarding a complaint that M/s Nayara Energy Limited (here-in-after referred as "unit") indulged in illegal mining of soil from Goucher (Pasture) land, public ponds and water bodies of the nearby villages and uprooted thousands of trees in Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan) and thereby damaged the environment**, below mentioned Joint Committee was constituted in the matter :-

- i. *Collector, Pali, Rajasthan*
- ii. *DFO/ Dy. Conservator of Forest, District Pali, Rajasthan*
- iii. *One representative of Rajasthan State Pollution Control Board, Rajasthan*

In reference to aforesaid directions, the District Collector, Pali has appointed Sub-Divisional Magistrate (SDM) Pali to represent him in the joint committee, further, District Collector has also directed Mining Engineer (M.E.), Sojat, Pali and Tehsildar, Rohat Pali to be a part of the committee in order to verify the factual cum evidence-based status regarding the complaint.

Hence, the committee thus comprising of Sh. S. Sarath Babu (DFO Pali), Sh. Lalit Goel (SDM Pali), Sh. Rahul Sharma (Regional Officer, RSPCB Pali), Sh. Dheeraj Panwar (ME, Sojat) and Sh. Praveen Kr. Choudhary (Tehsildar Rohat) have inspected the alleged site in the presence of unit representatives Sh. Abnish Kumar Choudhary (Project Incharge), Sh. Vinay Ghatole (Operation Incharge), Sh. Sunil Yadav (Safety Incharge). The

complainant Sh. Omaram Banjara was telephonically communicated to join the committee during the visit dated 18.11.2022 and has assured to join the visit, however, he has failed to appear at the given time and also didn't respond to number of phone calls made during the visit.

The joint committee then visited the alleged site, during the visit, following observations were made -

1. That the unit situated at Sawaipura, Tehsil Rohat, District Pali is engaged in storage of Petroleum Products (Motor Spirit (MS) and High-Speed Diesel (HSD)) for which unit has obtained Consent to Establish under Water Act, 1974 and Air Act, 1981 vide Head Office, RSPCB, letters dated 10.06.2020 and 23.03.2022. Copies enclosed as **Annexure 01**.
2. That M/s Nayara Energy Limited has also obtained Consent to Operate under Water Act, 1974 and Air Act, 1981 vide Head Office, RSPCB, letters dated 09.02.2022 and 29.06.2022 which is valid upto 30.09.2026 and 31.03.2027 respectively. Copies enclosed as **Annexure 02**.
3. That the matter of illegal excavation of soil was investigated and the unit representatives submitted that the land for non-agricultural industrial purpose viz. Storage of Petroleum was allotted from the office of District Collector Pali and SDM Rohat and copy of land conversion orders from the office of District Collector Pali and letter from office of SDM Rohat are enclosed as **Annexure 03**.
4. That the unit was issued Interim (Provisional) No Objection Certificate (NOC) from the office of District Magistrate, Pali which was issued based on the site reports submitted by

- SDM Rohat and Tehsildar, Rohat which is issued only after verification of the land regarding availability of trees, shrubs etc. Therefore, allegation of cutting of trees at the construction site of the unit becomes null and void. Copy of DM NOC dated 09.09.2021 along with SDM Rohat letter dated 08.10.2020 regarding Tehsildar Rohat report dated 08.10.2020 enclosed as **Annexure 04**.
5. Unit representative has further submitted that at the time of acquisition of the land, the land was having several natural dugs and pits which were required to be filled to make the land even for required purpose; also, unit representative has submitted the photographs of the uneven land taken during the year 2020. (Copy enclosed as **Annexure 05**).
6. Unit representative has also submitted that no cutting of trees were done by the unit as no trees were present at the land for which they have taken the permission from the Office of Tehsildar, Rohat, Pali which is a pre-requisite condition during land conversion process. Only shrubs were present at the site which was cleared for gainful utilization of the land. Photographs taken by the unit in the year 2020 showing the status of shrubs present at the site is enclosed as **Annexure 06**.
7. Unit representatives have submitted that no illegal mining of soil has been done in an around the nearby villages as alleged in the complaint, however, the work of filling and levelling of land was accorded to M/s SP Construction and M/s NMC industries who has started excavation of soil initially which was penalized by the Mining Department and has charged and recovered penalty fees of

Rs.7,90,000. Both the units have then obtained short term permit for excavation of ordinary soil and moorum soil from the office of Mining Engineer, Dept. of Mines and Geology, Sojat City, Pali vide letters dated 28.04.2020, 16.02.2021 & 19.03.2021 (**Copy of Short-Term Permit are enclosed as Annexure 07**).

8. Mining Department has verified the deposition of applicable Royalty Fee and other related fee along with penalty fee. Copies of deposition of applicable Fees are enclosed as **Annexure 08**.

9. In order to verify the illegal excavation at the alleged sites viz. *Chotila Sarvajanic Nada, Kerla Railway Station Sarvajanic Talab, Dharmdhari Sarvajanic Talab, Bandai Sarvajanic Talab and Putaliya Nada* the aforementioned joint team inspected these sites and during the visit no illegal mining and cutting of trees were observed. These sites are majorly having shrubs and trees of *Khejri and Babool*. GPS based photographs taken during the visit are enclosed as **Annexure 09**.

10. Also, the area for excavation of soil (for which Short-Term Permits have been obtained by the unit from Mining Department) was visited by the team and no mining and excavation of soil was observed during the visit, however, a large pit size of approximately 100m x 80m x 3m was observed which shows that the mining was done in the said area for filling of the land of M/s Nayara Energy Limited. GPS based photographs taken during the visit are enclosed as **Annexure 10**.


11. Unit representative submitted that complaint made by Sh. Omaram Banjara, is baseless and the complainant was earlier engaged as sub-contractor for civil work under M/s SP Construction (copy of payments made by M/s S.P. Construction to Sh. Banjara is enclosed in **Annexure 11**) who was then fired from the services due to payment disputes after which Sh. Banjara has made several fake complaints against M/s Nayara Energy i.e. filed case in Rajasthan High Court, applied RTIs in the several departments etc. without having any reasonable evidences. Copy of HC case enclosed as **Annexure 12**.

Comments: -

- a) The visit was fixed after having confirmation from the complainant Sh. Omaram Banjara who has ensured to be present with all relevant records/ evidences who had then not joined the visit despite number of calls made to him and has also failed to submit the evidences, as alleged in the complaint. The committee has also found that Sh. Banjara is a habitual complainant and has made several complaints at various Courts in several matters without any substantial evidences.
- b) Record of Mining Department shows that the mining of soil has been carried out after obtaining valid Short-Term Permit from the Department. Also, unit has submitted royalty fee, penalty fee and other fee as applicable.
- c) Photographs of the site, for which STPs were obtained from Mining Department, taken by the unit during year 2020 shows that only shrubs were present and no evidences of cutting of trees at the site were observed.


(Dheeraj Panwar)
 Mining Engineer
 Mines Dept., Sojat City Dist.
 Pali


(Rahul Sharma)
 Regional Officer
 RSPCB, Pali


(Praveen Kr. Choudhary)
 Tehsildar, Rohat
 Pali


(Lalit Goel)
 Sub-Divisional Officer,
 Pali


(Sh. S. Sarath Babu)
 Deputy Conservator of Forest
 Forest Department, Pali

C/s

District Collector,
Pali
 नमित मेहता
 जिला कलेक्टर, पाली



Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697



Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No : 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

M/s NAYARA ENERGY LIMITED

NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET
AIRWAYS GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK,
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST , MUMBAI

Tehsil:MUMBAI

District:MUMBAI

Sub: **Consent to Establish** under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application(s) for Consent to Establish dated 26/08/2019 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Establish under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder ,**is hereby granted** for your **Storage of petroleum product plant** situated / proposed at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali** , Rajasthan under the provisions of the said Act(s). This consent is granted on the basis of examination of the information furnished by you in consent application(s) and the documents submitted therewith, subject to the following conditions:-

- 1 That this Consent to Establish is valid for a period from **26/11/2019** to **31/10/2024** or **date of Commencement of production / commissioning of the project or activities whichever is earlier .**
- 2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity / Capacity
Ethanol	Activity	460.00 KL
HSD	Activity	35,160.00 KL
MS	Activity	12,710.00 KL
Slop	Service	10.00 KL

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2020.06.10 16:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302

Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No : 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

- 3 That in case of any increase in capacity or addition / modification / alteration or change in product mix or process or raw material or fuel the project proponent is required to obtain fresh consent to establish.
- 4 That the control equipment as proposed by the applicant shall be installed before trial operation is started for which prior consent to operate under the provision of the **Water Act and Air Act** shall be obtained. This consent to establish shall not be treated as consent to operate.
- 5 That the quantity of effluent generation and disposal along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Quantity of effluent to be recycled (KLD)	Quantity of treated effluent to be disposed (KLD) and mode of disposal
Domestic Sewage	3.500	NIL	3.500 To be treated in STP and to be used in plantation and horticulture
Trade Effluent	2.000	NIL	2.000 Plantation

- 6 That the sources of air emissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2020.06.10 16:14:38 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302

Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No: 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

Sources of Air Emmissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
DG Set (1 no.)(250KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE, ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--
DG Sets (2 nos.)(750KVA EACH)	ACOUSTIC ENCLOSURE, ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

- 7 That the domestic sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed by the Board as notified under the Environment (Protection) Act-1986 for disposal **Into Inland Surface Water**. The main parameters for regular monitoring shall be as under.

Parameters	Standards
pH Value	Between 5.5 to 9.0
Oil and Grease	Not to exceed 10 mg/l
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	Not to exceed 30 mg/l
Total Suspended Solids	Not to exceed 50 mg/l
Chemical Oxygen Demand	Not to exceed 250 mg/l

- 8 That this consent to establish is being issued only for the total storage of 48340 KL of petroleum products (HSD, Slop, MS & Ethanol) as per condition no. 2 and shall not be treated for processing/ storage of any other petroleum products.
- 9 That this consent to establish is being issued upon the khasra no duly converted for industrial use by SDM Rohat Distt. Pali- Khasra no. 279/32, 276, 276(1), 276(2), 273/19, 272, 279/27, 278/1, 279/16, 279/4, 279/23, 273/17, 277, 273/4, 277/1 dated 19/08/2016 and khasra no. 278/2 dated 26/08/2016 of land conversion.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2020.06.10 16:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:





Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No: 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

- 10 That total water requirement is 12 KLD (for domestic use-5 KLD, Fire fighting-2 KLD & Plantation-5 KLD) and same shall be obtained from ground water.
- 11 That the industry shall provide sewage treatment plant (STP) of adequate capacity so as to treat the entire domestic waste water (3.5 KLD) up to the norms for inland surface water standards at condition no 6.
- 12 That entire STP treated domestic waste water shall be used for plantation/gardening within the premises and no waste water shall be discharged outside the premises.
- 13 That the industry shall provide flow meters on sources/intake of fresh water, waste water generation and on the inlet and outlet of STP to measure the quantity of daily water consumption and treated waste water reused and daily records of same shall be maintained and submitted to the Board.
- 14 That industry shall not abstract ground water without prior NOC/ Permission from CGWA before commissioning of plant.
- 15 That no process effluent will be generated. The effluent generated from the floor washing and mock drill will be suitably treated in Oil Water Separator installed at unit & shall be used for plantation/Horticulture.
- 16 That all possible efforts shall be made for minimization of use of fresh water and use of treated waste water for gainful use within premises.
- 17 That no treated/untreated waste water (domestic/trade) shall be discharge out side the premises & complete zero liquid discharge status shall be maintained.
- 18 That the unit shall provide acoustic enclosure and stack of adequate height with D.G. Sets of 02x750 KVA Each, 01x250 KVA.
- 19 That unit shall use cleaner fuel in D.G. Set/ fire fighting engines etc. i.e. having low sulphur content.
- 20 That additional source of Air/Water pollution shall not be installed without prior consent to establish from the State Board.
- 21 That the industry shall obtain Environmental Clearance from competent authority under EIA Notification dated 14.09.2006 for taking up any such activity which attracts Environmental clearance under EIA Notification dated 14.09.2006 in future.
- 22 That unit shall submit PESO license within a period of one month.
- 23 That the unit shall operate with the valid policy under PLI Act, 1991.
- 24 That the unit shall comply with the provisions of manufacture, storage and import of hazardous Chemical Rules 1989.
- 25 That industry shall comply with the provisions of Hazardous & others Waste (Management, & Transboundary Movement) Rules, 2016.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2020.06.10 16:14:38 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No : 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020


Unit Id : 100787

- 26 That unit shall provide of greenbelt cover by 33% of total land area.
- 27 That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 200 Cr.
- 28 That the unit shall install adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.
- 29 That the industry shall not use petcoke/furnace oil in any process/service/utility in compliance to the order dated 24/10/2017 of Hon'ble Supreme Court, wherein ban has been imposed on the use of pet coke and furnace oil in the State of Rajasthan.
- 30 That the industry shall submit half yearly compliance report of all the above conditions to the State Board.
- 31 That, notwithstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of compliance of the **Water Act and Air Act**.
- 32 That the grant of this **Consent to Establish** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.
- 33 That the grant of this **Consent to Establish** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceedings, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This **Consent to Establish** shall also be subject, beside the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Establish** and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the the relevant provisions of the said Act(s).

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2020.06.10 16:14:38 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302

Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No : 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

This bears the approval of the competent authority.

Yours Sincerely

Group Incharge[HDF]

(A): **Copy To:-**

- 1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance.
- 2 Master File.

Group Incharge[HDF]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2020.06.10 16:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302

Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697



Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/3(1)/2021-2022/7743-7745

Order No : 2021-2022/HDF/8936

Dispatch Date: Mar 23 2022 3:34PM

Unit Id : 100787

M/s NAYARA ENERGY LIMITED

**NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET
AIRWAYS GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK,
BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST , MUMBAI**

Tehsil:MUMBAI

District:MUMBAI

Sub: Consent to Establish under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application(s) for Consent to Establish dated 14/02/2022 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Establish under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder, **is hereby granted** for your **Storage of petroleum product plant** situated / proposed at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali**, Rajasthan under the provisions of the said Act(s). This consent is granted on the basis of examination of the information furnished by you in consent application(s) and the documents submitted therewith, subject to the following conditions:-

- 1 That this Consent to Establish is valid for a period from **14/02/2022** to **31/01/2027** or **date of Commencement of production / commissioning of the project or activities whichever is earlier**.
- 2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity / Capacity
Fire Fighting Engine	Activity	3.00 NOS.

- 3 That in case of any increase in capacity or addition / modification / alteration or change in product mix or process or raw material or fuel the project proponent is required to obtain fresh consent to establish.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.03.23 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested
Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302

Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/3(1)/2021-2022/7743-7745

Order No : 2021-2022/HDF/8936

Dispatch Date: Mar 23 2022 3:34PM

Unit Id : 100787

- 4 That the control equipment as proposed by the applicant shall be installed before trial operation is started for which prior consent to operate under the provision of the **Water Act and Air Act** shall be obtained. This consent to establish shall not be treated as consent to operate.
- 5 That the sources of air emissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
Three Fire Fighting Engine	ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

- 6 That this consent to establish is being issued for three fire fighting engine mentioned at condition no. 2. The industry has to seek fresh consent to establish & operate for any change in product / by product/process/modification/alteration.
- 7 That the industry shall provide adequate stack height with three fire fighting engine.
- 8 That water shall not be used in process and thus no trade effluent will be generated.
- 9 That no treated/untreated waste water (domestic & trade effluent) shall be discharged outside the factory premises in any case and complete zero discharge status shall be maintained.
- 10 That no additional source of Air/Water pollution shall be installed without prior consent to establish from the State Board.
- 11 That no waste as defined under Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 shall be generated.
- 12 That the industry shall install & maintain adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.
- 13 That the plantation of local species in the 33% of total area of the project shall be carried out & maintained.
- 14 That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 99.0 lacs which includes the cost Plant & Machinery.
- 15 That the industry shall ensure compliance of all the conditions of consent to operate issued vide Board's order no.2021-22/HDF/8884 dated 09.02.2022.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.03.23 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested
Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/3(1)/2021-2022/7743-7745

Order No : 2021-2022/HDF/8936

Dispatch Date: Mar 23 2022 3:34PM

Unit Id : 100787

- 16** That, notwithstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of compliance of the **Water Act and Air Act**.
- 17** That the grant of this **Consent to Establish** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.
- 18** That the grant of this **Consent to Establish** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceedings, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This **Consent to Establish** shall also be subject, beside the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Establish** and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the the relevant provisions of the said Act(s).

This bears the approval of the competent authority.

Yours Sincerely

Group Incharge[HDF]

(A): **Copy To:-**

- 1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance
- 2 Master File.

Page 3 of 4

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2022.03.23 15:34:42 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302
Phone: 0141-5159600, 5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/3(1)/2021-2022/7743-7745

Order No : 2021-2022/HDF/8936

Unit Id : 100787

Dispatch Date: Mar 23 2022 3:34PM

Group Incharge[HDF]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.03.23 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested
Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697



Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514

Order No : 2021-2022/HDF/8884

Date: Feb 9 2022 2:55PM

Unit Id : 100787

M/s NAYARA ENERGY LIMITED

**NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET AIRWAYS
GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK, BANDRA KURLA
COMPLEX, BANDRA EAST , MUMBAI Tehsil:MUMBAI
District:MUMBAI**

Sub: Consent to Operate under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application for Consent to Operate dated 21/10/2021 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Operate under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder **is hereby granted** for your **Storage of petroleum product plant** situated at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali**, Rajasthan, subject to the following conditions:-

- 1 That this Consent to Operate is valid for a period from **21/10/2021** to **30/09/2026**.
- 2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity with Unit
Ethanol	Activity	350.00 KL
HSD	Activity	21,090.00 KL
MS	Activity	7,640.00 KL
Slop	Service	10.00 KL

- 3 That this consent to operate is for existing plant, process & capacity and separate consent to establish/operate is required to be taken for any addition / modification / alteration in process or change in capacity or change in fuel.
- 4 That the quantity of effluent generation along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested
Location:





Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514

Order No : 2021-2022/HDF/8884

Date: Feb 9 2022 2:55PM

Unit Id : 100787

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Recycled Qty of Effluent (KLD)	Disposed Qty of effluent (KLD) and mode of disposal
Domestic Sewage	3.500	NIL	3.500 To be treated in STP and to be used in plantation and horticulture
Trade Effluent	2.000	NIL	2.000 Reuse in Process

- 5 That the sources of air emissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
DG Set (1 nos.)(250KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--
DG Set (2 nos.)(750KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

- 6 That the domestic sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act-1986 for disposal **Into Inland Surface Water**. The main parameters for regular monitoring shall be as under.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514

Order No : 2021-2022/HDF/8884

Date: Feb 9 2022 2:55PM

Unit Id : 100787

Parameters	Standards
pH Value	Between 5.5 to 9.0
Oil and Grease	Not to exceed 10 mg/l
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	Not to exceed 30 mg/l
Total Suspended Solids	Not to exceed 50 mg/l
Chemical Oxygen Demand	Not to exceed 250 mg/l

- 7 That this consent to operate is Valid only for the total storage of 29090 KL of petroleum products (HSD, Slop, MS & Ethanol) as per condition no. 2 and shall not be treated for processing/ storage of any other petroleum products.
- 8 That total water requirement is 12 KLD (for domestic use-5 KLD,Industrial-2 KLD & Plantation/others-5 KLD) and same shall be obtained from ground water.
- 9 That the industry shall maintain sewage treatment plant (STP) of adequate capacity so as to treat the entire domestic waste water (3.5 KLD) up to the norms for inland surface water standards at condition no 6.
- 10 That entire STP treated domestic waste water shall be used for plantation/gardening within the premises and no waste water shall be discharged outside the premises.
- 11 That the industry shall maintain flow meters on sources/intake of fresh water, waste water generation and on the inlet and outlet of STP to measure the quantity of daily water consumption and treated waste water reused and daily records of same shall be maintained and submitted to the Board.
- 12 That industry shall not abstract ground water without prior NOC/ Permission from CGWA & shall comply with all the condition of NOC no. CGWA/ NOC/ IND/ ORIG/2021/10795.
- 13 That no process effluent will be generated. The effluent generated from the floor washing and mock drill will be suitably treated in Oil Water Separator installed at unit & shall be used for plantation/Horticulture.
- 14 That all possible efforts shall be made for minimization of use of fresh water and use of treated waste water for gainful use within premises.
- 15 That no treated/untreated waste water (domestic/trade) shall be discharge outside the premises & complete zero liquid discharge status shall be maintained.
- 16 That the unit shall maintain acoustic enclosure and stack of adequate height with D.G. Sets of 02x750 KVA Each, 01x250 KVA.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514

Order No : 2021-2022/HDF/8884

Date: Feb 9 2022 2:55PM

Unit Id : 100787

- 17 That already installed fire fighting engine (2 no.) shall not be operated without prior consent from the State Board for which unit shall apply obtain separate consent to establish / operate from the State Board before 28.02.2022.
- 18 That unit shall use cleaner fuel in D.G. Set/ fire fighting engines etc. i.e. having low sulphur content.
- 19 That additional source of Air/Water pollution shall not be installed without prior consent to establish from the State Board.
- 20 That the industry shall obtain Environmental Clearance from competent authority under EIA Notification dated 14.09.2006 for taking up any such activity which attracts Environmental clearance under EIA Notification dated 14.09.2006 in future.
- 21 That unit shall operate with valid PESO license & policy under PLI Act, 1991.
- 22 That the unit shall comply with the provisions of manufacture, storage and import of hazardous Chemical Rules 1989
- 23 That industry shall comply with the provisions of Hazardous & others Waste (Management, & Transboundary Movement) Rules, 2016 and shall apply & obtain Hazardous waste authorization before 28.02.2022.
- 24 That unit shall provide of greenbelt cover by 33% of total land area.
- 25 That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 116.53 Cr.
- 26 That the unit shall install adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.
- 27 That the industry shall not use petcoke/furnace oil in any process/service/utility in compliance to the order dated 24/10/2017 of Hon'ble Supreme Court, wherein ban has been imposed on the use of pet coke and furnace oil in the State of Rajasthan.
- 28 That the industry shall submit half yearly compliance report of all the above conditions to the State Board.
- 29 That, not withstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of **Air Act & Water Act**.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514

Order No : 2021-2022/HDF/8884

Date: Feb 9 2022 2:55PM


Unit Id : 100787

- 30 That the grant of this **Consent to Operate** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.
- 31 That the grant of this **Consent to Operate** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.
- 32 That the Project Proponent shall comply with provisions of the E-waste (Management) Rules, 2016 and ensure that e-waste generated by them is channelized through collection centre or dealer of authorized producer or dismantler or recycler or through designated take back service provider of the producer to authorized dismantler or recycler.
- 33 That the Project Proponent shall maintain record of e-waste generated by them in Form-2 and make such records available for scrutiny by the board.
- 34 That the Project Proponent shall file annual returns in Form-3, to the Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates
- 35 That the transportation of e-waste shall be carried out as per the manifest system whereby the transporter shall be required to carry a document (three copies) prepared by the sender, giving the details as per Form-6.
- 36 That the Project Proponent shall comply with provisions of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended) and submit half yearly returns (as bulk consumer, importer, auctioneer, recycler as the case may be) to the State Board as provided under Rule 10 (2) (ii) of the Battery (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended). In Case the Project Proponent is not a bulk consumer even then the used batteries shall be returned to the authorized dealers or recyclers only.
- 37 That the record of batteries purchased and sold/ returned to registered dealers and/ or authorized recyclers shall be maintained and made available to the officers of the Board during inspections.

This **Consent to Operate** shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time , be specified, by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Operate** and project proponent / occupier shall be liable for legal

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514

Order No : 2021-2022/HDF/8884

Date: Feb 9 2022 2:55PM

Unit Id : 100787

action under the relevant provisions of the said Act(s).

This bears the approval of the competent authority.

Yours Sincerely

Group Incharge[HDF]

(A): Copy To:-

- 1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance.
- 2 Master File.

Group Incharge[HDF]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested
Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695



Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950

Order No : 2022-2023/HDF/8989

Date: Jun 29 2022 3:03PM

Unit Id : 100787

M/s NAYARA ENERGY LIMITED

NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET AIRWAYS
GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK, BANDRA KURLA
COMPLEX, BANDRA EAST , MUMBAI Tehsil:MUMBAI
District:MUMBAI

Sub: Consent to Operate under Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application for Consent to Operate dated 07/04/2022 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Operate under the provisions of Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder **is hereby granted** for your **Storage of petroleum product plant** situated at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali**, Rajasthan, subject to the following conditions:-

- 1 That this Consent to Operate is valid for a period from **07/04/2022** to **31/03/2027**.
- 2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below:


Particular	Type	Quantity with Unit
Fire Fighting Engine	Activity	3.00 NOS.

- 3 That this Consent to Operate is for existing plant, process & capacity and separate Consent to Establish/Operate is required to be taken for any addition / modification / alteration in process or change in capacity or change in fuel.
- 4 That the sources of air emissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
Fire Fighting Engine(3NOS.)	ADEQUATE STACK HEIGHT		

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.06.29 15:03:59 IST
Reason: SelfAttested
Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
 Phone: 0141-5159600,5159695

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950

Order No : 2022-2023/HDF/8989

Date: Jun 29 2022 3:03PM

Unit Id : 100787

		--	--
--	--	----	----

- 5 That this consent to operate is being issued for three fire fighting engine only mentioned at condition no. 2. The industry has to seek fresh consent to establish & operate for any change in product / by product/process/modification/alteration.
- 6 That the industry shall maintain adequate stack height with three fire fighting engines.
- 7 That water shall not be used in process and thus no trade effluent will be generated.
- 8 That no treated/untreated waste water (domestic & trade effluent) shall be discharged outside the factory premises in any case and complete zero discharge status shall be maintained.
- 9 That no additional source of Air/Water pollution shall be installed without prior consent to establish from the State Board.
- 10 That no waste as defined under Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 shall be generated.
- 11 That the industry shall install & maintain adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.
- 12 That the plantation of local species in the 33% of total area of the project shall be carried out & maintained.
- 13 That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 99.0 lacs which includes the cost Plant & Machinery.
- 14 That the industry shall ensure compliance of all the conditions of consent to operate issued vide Board's order no.2021-2022/HDF/8884 date 09.02.2022 & consent to establish issued vide Board's order no.2021-22/HDF/8936 dated 23.03.2022.
- 15 That industry shall submit point wise compliance report on half yearly basis to the State Board.
- 16 That, notwithstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have the power and reserves its right, as contained **under Section 27(2) of the Water Act and under Section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all of the conditions imposed here in above and to make such variation as it deems fit for the purpose of **Air Act & Water Act**.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2022.06.29 15:03:59 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950

Order No : 2022-2023/HDF/8989

Date: Jun 29 2022 3:03PM

Unit Id : 100787

- 17 That the grant of this **Consent to Operate** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.
- 18 That the grant of this **Consent to Operate** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Water Act and Air Act or the Rules made thereunder.
- 19 That the Project Proponent shall comply with provisions of the E-waste (Management) Rules, 2016 and ensure that e-waste generated by them is channelized through collection centre or dealer of authorized producer or dismantler or recycler or through designated take back service provider of the producer to authorized dismantler or recycler.
- 20 That the Project Proponent shall maintain record of e-waste generated by them in Form-2 and make such records available for scrutiny by the Board.
- 21 That the Project Proponent shall file annual returns in Form-3, to the Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.
- 22 That the transportation of e-waste shall be carried out as per the manifest system whereby the transporter shall be required to carry a document (three copies) prepared by the sender, giving the details as per Form-6.
- 23 That the Project Proponent shall comply with provisions of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended) and submit half yearly returns (as bulk consumer, importer, auctioneer, recycler as the case may be) to the State Board as provided under Rule 10 (2) (ii) of the Battery (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended). In case the Project Proponent is not a bulk consumer even then the used batteries shall be returned to the authorized dealers or recyclers only.
- 24 That the record of batteries purchased and sold/ returned to registered dealers and/ or authorized recyclers shall be maintained and made available to the officers of the Board during inspections.

This **Consent to Operate** shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The Project Proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified, by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
 Date: 2022.06.29 15:03:59 IST
 Reason: SelfAttested
 Location:





Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950

Order No : 2022-2023/HDF/8989

Date: Jun 29 2022 3:03PM

Unit Id : 100787

revocation of **Consent to Operate** and Project Proponent / occupier shall be liable for legal action under the relevant provisions of the said Act(s).

This bears approval of the competent authority.

Yours sincerely,

Group Incharge[HDF]

(A): **Copy to:-**

- 1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance of consent conditions
- 2 Master File.

Group Incharge[HDF]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.06.29 15:03:59 IST
Reason: SelfAttested
Location:



प्ररूप "ख"

(देखिए नियम 9(3), (4) व (6))

कार्यालय, विहित प्राधिकारी (जिला कलेक्टर, पाली)



क्रमांक एफ12(3)(18)संप./राज/20/906

दिनांक:-25/02/2020

-:संपरिवर्तन आदेश:-

श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8 बी साउथ पार्ट कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के आवेदन-पत्र पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोलियम स्टोरेज) के लिए राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.6(6)राज.-6/92 पीटी/8 दिनांक 26.4.11 एवं दिनांक 6.10.2016 नियम 9(d) के क्रम में संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

- 1 आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता पति के नाम सहित तथा पूरा पता: श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8 बी साउथ पार्ट कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
- 2 संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:
 - (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम: ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटिला तहसील रोहट जिला पाली
 - (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (बीघा/हैक्टर/वर्ग मीटर में) ख.नं. 279/12 रकबा 8-01 बीघा, ख.नं. 279/28 रकबा 13-06 बीघा, ख.नं. 279/38 रकबा 5 बीघा एवं ख.नं. 279/24 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 32-07 बीघा किस्म बारानी सोयम 52366.23 वर्ग मीटर (संलग्न नक्शा अनुसार)
 - (ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (बीघा/हैक्टर/वर्ग मीटर में) ख.नं. 279/12 रकबा 8-01 बीघा, ख.नं. 279/28 रकबा 13-06 बीघा, ख.नं. 279/38 रकबा 5 बीघा एवं ख.नं. 279/24 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 32-07 बीघा किस्म बारानी सोयम 52366.23 वर्ग मीटर (संलग्न नक्शा अनुसार)
- टिप्पणी: अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न
- 3 संपरिवर्तन का प्रयोजन: औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पेट्रोलियम स्टोरेज)
- 4 संदेय प्रीमियम की दर: 16.18 रुपये प्रति वर्ग मीटर
- 5 चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम: GRN 37768972 चालान नं. 798 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा 8,47,380/- रुपये
- 6 चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम: नहीं
- 7 चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम: नहीं
- 8 क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है: नहीं
- 9 अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो: उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के नियम 9(2) में संपरिवर्तन किया जाता है। उक्त संपरिवर्तन आदेश ले-आऊट प्लान कमेटी में ले-आऊट प्लान मंजूर करवाने के पश्चात् प्रभावी माना जायेगा।
- 10 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
 - (i) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित माप-दण्डानुसार सड़क के मध्य से भूमि छोड़कर निर्माण कार्य किया जाएगा तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत् पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
 - (ii) यदि प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

जिला कलेक्टर
पाली

- (iii) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण करना होगा।
- (iv) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
- (vi) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (vii) उक्त संपरिवर्तन आदेश वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा संपरिवर्तन ले-आऊट प्लान कमेटी में मंजूरी के पश्चात् ही मान्य माना जायेगा।
- (viii) नियम-4 में यथा-वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (ix) आवेदित खसरा नम्बर के संबंध में कोई वाद-विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में यह आदेश, न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।
- (x) उक्त संपरिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त यदि कोई राशि वसूलनीय पायी गयी तो आवेदक द्वारा शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली कार्यवाही की जायेगी।
- (xi) उद्योग स्थापित करने से पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण मानकों की पूर्ण पालना की जावे एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- (xii) अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के फॉर्म 'ए' में अंकित बिन्दु संख्या 4 की पालना में प्रस्तावित भूमि में एक पेड़ को हटाने के बदले 3 पेड़ एक वर्ष की अवधि में लगायेंगे एवं पालना नहीं करने की स्थिति में नियमों के अन्तर्गत पेनल्टी राशि वसूल की जाएगी, जिसकी सुनिश्चितता तहसीलदार द्वारा की जाएगी।



(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर,
पाली (राज.)
दिनांक:- 25/02/2020

कमांक एफ12(3)(18)संप./राज/20/907-918
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, जि.रा.ले./भू.अभिलेख/न्यायिक शाखा कलेक्ट्रेट, पाली
2. उप खण्ड अधिकारी, रोहट।
3. सहायक अभियन्ता, सानिवि, रोहट।
4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पाली।
5. तहसीलदार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रोहट
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, चोटिला पंचायत समिति, रोहट।
7. पटवारी हल्का चोटिला, सम्बन्धित द्वारा तहसीलदार, रोहट।
8. श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8 बी साउथ पार्ट कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
पाली (राज.)

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2729

दिनांक 26-8-16


-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) एवं अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल 10 वस्त्राल, अहमदाबाद के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) एवं अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल 10 वस्त्राल, अहमदाबाद
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 278/2 रकबा 1.12 बीघा, अर्थात् 2589.98 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012600945 दिनांक 19-8-16 रूपये 3,880 / चालान नम्बर 0012045144 दिनांक 13-7-16 रूपये 6480 / चालान नम्बर 742 दिनांक 23.08.16 रूपये 10,120 /- चालान नं. 12747994 दिनांक 26.8.16 रूपये 5,00 /-, कुल राशि Rs. 20,980/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-



(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है,। ग्रामीण कच्चा रास्ता से पड़ोसी खातेदारी खसरा नम्बर 279/35 में से रास्ता समर्पण किया गया है।



(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2730-36

दिनांक 26-8-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) एवं अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल 10 वस्त्राल, अहमदाबाद

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)
रोहट (जिबा-पडो)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2598

दिनांक 19-8-16

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 273/19 रकबा 15 बीघा अर्थात् 24281.01 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 6.18 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 12036208 दिनांक 13-07-16 रूपये राशि 1,24,410/-, चालान नम्बर 0012601006 दिनांक 19-08-16 रूपये राशि 25,650/-, -, कुल राशि Rs. 1,50,060/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार2

- (1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
- (3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनुसार प्रविष्ट करवायेगा।
- (5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
- (6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
- (7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
- (8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
- (9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
- (10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

दिनांक 19-8-16

क्रमांक/राज/संप/16/ 2599-605

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2630

दिनांक 15-8-16

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 273/4 रकबा 15 बीघा अर्थात 24281.01 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 5/- प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 00120452 दिनांक 13-07-16 रुपये राशि 1,21,410/-, कुल राशि Rs. 1,21,410/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार2

- | |
|--|
| (1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। |
| (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी। |
| (3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। |
| (4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा। |
| (5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी। |
| (6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें। |
| (7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा। |
| (8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा। |
| (9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा। |
| (10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। |
| (11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसके मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कॉग्रेस मापदण्ड अनुसार प्रार्थी की भूमि रकबा 1.09 बीघा भूमि राज्य हक में निःशुल्क समर्पण योग्य है। जिस पर कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। |

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

दिनांक 19-8-16

क्रमांक/राज/संप/16/ 2631-37

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)
क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2622 दिनांक 19-8-16

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री शिवराज पुत्र श्री रामलाल जाति भील निवासी 485 गोदाम के पास देवली गॉव तहसील देवली जिला टाँक (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री शिवराज पुत्र श्री रामलाल जाति भील निवासी 485 गोदाम के पास देवली गॉव तहसील देवली जिला टाँक (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 272 रकबा 13.14 बीघा, अर्थात् 22176.13 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 05.40 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012036032 दिनांक 13-07-16 रूपये राशि 1,05,890/-, चालान नम्बर 00120600760 दिनांक 19.08.2016 रूपये 8,470/-, योग रु. 1,14,360/- कुल राशि Rs. 1,14,360/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ग्रामीण डामर सड़क से पडौसी खातेदार खसरा नम्बर 273/4 व 273/19 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2623-29
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

दिनांक 17-8-16

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री शिवराज पुत्र श्री रामलाल जाति भील निवासी 485 गोदाम के पास देवली गाँव तहसील देवली जिला टोंक (राजस्थान)

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)
क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2606 दिनांक 19-8-16

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 279/23 रकबा 10 बीघा अर्थात् 16187.4 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 5 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012039113 दिनांक 13-07-2016 राशि 80,940/-, कुल राशि Rs. 80,940/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

दिनांक 19-8-16

क्रमांक/राज/संप/16/ 2607-13

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2 614

दिनांक 19-8-16

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड, अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 276 रकबा 3.19 बीघा, ख.न. 276/1 रकबा 4.00 बीघा, ख.न. 276/2 रकबा 3.19 बीघा कुल रकबा 11.18 बीघा अर्थात् 19263 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 5 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012039422 दिनांक 13-07-2016 राशि 78,110/-, चालान नम्बर 00120600838 दिनांक 19-08-2016 राशि 18,210/-, कुल राशि Rs. 96,320/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार2

- (1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
- (3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनुसार प्रविष्ट करवायेगा।
- (5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
- (6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
- (7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
- (8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
- (9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
- (10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ग्रामीण डामर सड़क से पडौसी खातेदार खसरा नम्बर 273/4 व 273/19 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

दिनांक 14-8-16

क्रमांक/राज/संप/16/ 2615-21

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/2638

दिनांक 19-8-16

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 277/1 रकबा 3.10 बीघा, अर्थात 5665.59 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 05/- प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012574297 दिनांक 17-08-16 रूपये राशि 28,330/-, कुल राशि Rs. 28,330/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसके मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कांग्रेस मापदण्ड अनुसा प्रार्थी की खातदोरी भूमि 0.10 बीघ भूमि राज्य हित में निशुल्क समर्पण योग्य है। जिस पर कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2639-45
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

दिनांक 19-8-16

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2662

दिनांक 14-8-16

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 279/35 रकबा 1.05 बीघा, अर्थात् 2023.42 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 05/- प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012574341 दिनांक 17-08-16 रूपये राशि 10,120/-, कुल राशि Rs. 10,120/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण / उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

दिनांक 19-8-16

क्रमांक/राज/संप/16/2663-69
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2654

दिनांक 19-8-16

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 277 रकबा 15 बीघा, अर्थात् 24281.1 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035416 दिनांक 13-07-16 रूपये राशि 1,21,410/-, चालान नम्बर 00120600654 दिनांक 19.08.2016 रूपये 74,350/-, योग रु. 1,95,760/- कुल राशि Rs. 1,95,760/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण / उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।



(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2655-61

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।

2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट

3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट

4. पटवारी हल्का चोटिला

5. श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल,
10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

दिनांक 19-8-16

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)
क्रमांक/राजस्व/संप/16/2646

दिनांक 19-8-16

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 279/27 रकबा 03 बीघा, अर्थात 4856.22 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रुपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035586 दिनांक 13-07-16 रुपये राशि 24,290/-, चालान नम्बर 00120600713 दिनांक 19.08.2016 रुपये 14,860/-, योग रु. 39,150/- कुल राशि Rs. 39,150/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कांग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसके मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कांग्रेस मापदण्ड अनुसार 50 फुट दूरी पर प्रस्तावित भूमि स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2647-53
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

दिनांक 19-8-16

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/1590

दिनांक 14-8-16

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 273/17 रकबा 3.15 बीघा, अर्थात 6070.27 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 12.35 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035895 दिनांक 13-07-16 रूपये राशि 30,360/-, चालान नम्बर 00120600654 दिनांक 19.08.2016 रूपये 44,610/-, योग रु. 74,970/- कुल राशि Rs. 74,970/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

लगातार2



(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2591-97

दिनांक 19-08-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)
क्रमांक/राजस्व/संप/16/2678 दिनांक 23-8-16

—: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 278/2 रकबा 1.12 बीघा, अर्थात 2889.98 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012600945 दिनांक 19-08-16 रूपये राशि 3,880/-,, चालान नम्बर दिनांक 19-08-16 रूपये 6,880/-, कुल राशि Rs. 20,876/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

- (1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
- (3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (4) इंडियन रोड कॉर्पोरेशन के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
- (5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
- (6) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
- (7) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
- (8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
- (9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
- (10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। ग्रामीण कच्चा रास्ता से पडौसी खातेदारी खसरा नम्बर 279/35 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

दिनांक 23-8-16

क्रमांक/राज/संप/16/2679-85

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।

2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट

3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट

4. पटवारी हल्का चोटिला

5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टैण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/2582

दिनांक 17-8-16

--: संपरिवर्तन आदेश :-

श्री हितेश गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री हितेश गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 278/1 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 279/16 रकबा 5.14 बीघा, खसरा नम्बर 279/4 रकबा 19.09 बीघा कुल 26.15 बीघा अर्थात् 43301.29 वर्गमीटर
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति है - राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 11.34 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035241 दिनांक 13-07-16 रूपये राशि 2,16,510/-, चालान नम्बर 0012600594 दिनांक 19.08.2016 रूपये 2,74,550/-, योग रू. 4,91,040/- कुल राशि Rs. 4,91,040/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा	-

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवे के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकॉर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीघा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी-गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधों के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उद्योग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तों की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षेत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सड़क के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षेत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सड़क मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कांग्रेस मापदण्ड अनुसार प्रार्थी का खातेदारी रकबा 89.50 वर्गमीटर राज्य हित में निशुल्क समर्पण योग्य है। जिसे प्रार्थी द्वारा समर्पण किया गया है।



(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2583-89

दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री हितेश गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

(उपखण्ड अधिकारी रोहट)
(जबरसिंह)

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली



क्रमांक : एफ.21(10)(32)न्याय/2020/24744

दिनांक :- 9 सितम्बर, 2021

अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रबन्धक, आवासीय निर्माण, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पाली डिपो ने आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट के खसरा नम्बर 278/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1, 279/16, 279/4, 279/28, 279/38 एवं 279/24 कुल रकबा 234797.35 वर्ग मीटर भूमि पर उनकी कम्पनी को पेट्रोलियम क्लास 'ए' में 8000 कि.ली. एवं पेट्रोलियम क्लास 'बी' में 21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का (संलग्न) साईट प्लान के अनुसार भूमिधारी श्री महिपाल कुमावत, श्री शिवराज, श्री महेश कुमार, श्री अश्विन गाढीया, श्री हितेश गाढीया एवं श्री शशिपाल कुमावत से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि कम्पनी द्वारा क्रय की जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक पाली, उपखण्ड मजिस्ट्रेट रोहट, उप वन संरक्षक पाली, जिला रसद अधिकारी पाली, अधिशाषी अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि. पाली, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., पाली, सहायक अग्निशमन अधिकारी नगर परिषद पाली, एवं सरपंच ग्राम पंचायत, चोटीला से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड पाली ने अपने पत्र में वर्णित शर्तों के अध्वधीन अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः उपरोक्त संबंध में सभी सम्बद्ध विभाग/कार्यालयों से प्राप्त अनुकूल जांच रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्धक, आवासीय निर्माण, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पाली डिपो को ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 278/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1, 279/16, 279/4, 279/28, 279/38 एवं 279/24 कुल रकबा 234797.35 वर्ग मीटर भूमि पर पेट्रोलियम क्लास 'ए' में 8000 कि.ली. एवं पेट्रोलियम क्लास 'बी' में 21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु निम्न शर्तों की पालना करने के अध्वधीन अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है :-

1. सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, पाली के पत्रांक 1603 दिनांक 10.11.2020 में वर्णित शर्तों की पालना की जावें एवं कार्य पश्चात पुनः निरीक्षण करवाकर ही पम्प चालू किया जावें। (प्रति संलग्न)
2. भूमि संपरिवर्तन आदेशों में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड पाली के पत्रांक 923 दिनांक 4.08.2021 में वर्णित शर्तों के अध्वधीन अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। (प्रति संलग्न)
4. कम्पनी को भारत/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
5. कम्पनी को पेट्रोलियम एक्ट तथा पेट्रोलियम नियम 2002 के प्रावधानों एवं सभी सुसंगत नियमों/निर्देशों व सभी सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय आदि से पेट्रोल पम्प स्थापना के संबंध में कोई प्रतिकूल निर्णय पारित होने की दशा में उक्त अनापत्ति उसके अध्वधीन रहेगी।

उक्त शर्तों की पालना नहीं करने की दशा में यह अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।



—sd—
(अंश दीप)

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

दिनांक: 9 सितम्बर, 2021

क्रमांक : सम/2021/24745-759

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रबन्धक, आवासीय निर्माण, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पाली डिपो को प्रमाणित साईटप्लान की प्रति के साथ प्रेषित हैं।
2. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, हाल संख्या 502 एवं 507, लेवल-5, ब्लॉक 2, पुराना सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स एन.एच.4, फरीदाबाद-121001
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (रा.उ.मा.) राजस्थान जयपुर
4. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली
5. उप मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, आम्रपाली सर्किल, पावर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302021
6. प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट, पाली
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली/उप वन संरक्षक पाली/जिला रसद अधिकारी, पाली
8. अधिशाषी अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि. खण्ड पाली
9. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड पाली।
10. तहसीलदार रोहट को भेजकर लेख है कि निर्माण के समय इस हेतु कम्पनी से निर्धारित शर्तों की पालना आवश्यक रूप से करवाई जाना सुनिश्चित करे। (प्रति संलग्न)
11. सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, पाली
12. सरपंच, ग्राम पंचायत चोटीला पं.स. रोहट
13. रक्षित पत्रावली।

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रोहट जिला पाली (राज.)
दिनांक: 8.10.2020

क्रमांक/न्याय/2020/3842

प्रेषित:-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
पाली


विषय: प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लिमिटेड को ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट में
पेट्रोलियम रुल्स 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
प्रसंग: तहसीलदार रोहट के पत्रांक/न्यायिक/2020/1967 दिनांक 8.10.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट में
कुल रकबा 234797.35 वर्गमीटर संपरिवर्तित भूमि पर नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने
हेतु नायरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में मौका निरीक्षण की जांच
तहसीलदार रोहट द्वारा की गई जिसकी सूचना संलग्न इस पत्र के साथ श्रीमान की सेवा
में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

मूल


उपखण्ड अधिकारी
रोहट

Photographs Of the Uneven Land Taken During the Year 2020

Nayara Depot Pali





Annexure 06

Photographs taken by the unit in year 2020 showing the status of shrubs





राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/57/2021/415

दिनांक 16/02/2021

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali. के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 13.02.2021 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 15.02.2021 कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि रुपये 5,00,000/- जरिये ई-चालान संख्या 47499796 दिनांक 15.02.2021 परमिट फीस राशि रुपये 10,000/- जरिये ई-चालान संख्या 47500417 दिनांक 15.02.2021 से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 50,000/- जरिये ई-चालान 47505097 दिनांक 15.01.2021 व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 10,000/- जरिये डी.डी. संख्या 44193797 दिनांक 10.02.2021 तथा एवं टी.सी.एस. राशि रुपये 10,000/- जरिये चालान संख्या 01447 दिनांक 15.02.2021 से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 16.02.2021 से 28.02.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	मुर्रम	20,000 टन	25/-	5,00,000/-	10,000/-	5,10,000/-	खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.2021 अनुसार खनिज पीट क्षेत्र में खनिज मुर्रम जो विभिन्न ढेरियों के रूप में स्टेक किया हुआ है। मे से

विशेष शर्त:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/कैचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफ्टी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी
 दिनांक 16/02/2024

क्रमांक:-समसंख्यक- 416-418

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अद्वैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावे।
2. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
3. मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी- 8बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।




 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/बी-66/2020/771

दिनांक 28.04.2020

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एस. पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवैदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रु 112600/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 378300/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रु 10000/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 33600/-) तथा टीसीएस राशि रु 2000/- जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 6720/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	25000 टन	4/-	100000/-	12600/-	112600/-	क्षेत्रफल 0.9044 हैक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्राह्य या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी
 दिनांक 28.04.2020

क्रमांक:-समसंख्यक- 772-74

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)-361305
2. खनि कार्यदेशक-11 कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सल्टेशन निवासी - 8 बी, साउथ पार्क, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/बी-67/2020/775

दिनांक 28.04.2020

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारा (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रु 117100/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 378300/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रु 10400/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 33600/-) तथा टीसीएस राशि रु 2080/- जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 6720/-) से जमा करा दिये गये हैं।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	26000 टन	4/-	104000/-	13100/-	117100/-	क्षेत्रफल 0.9293 हैक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

विशेष शर्त:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।



खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी

दिनांक 28.04.2020

क्रमांक:-समसंख्यक- 776-78

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)-361305
2. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सल्टेशन निवासी - 8 बी, साउथ पार्क, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।



खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/बी-68/2020/779

दिनांक 28.04.2020

:—अल्पावधि अनुमति पत्र:—

मैसर्स एस. पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रु 117100/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 378300/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रु 10400/- जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 33600/-) तथा टीसीएस राशि रु 2080/- जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रु 6720/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा 74 (i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	26000 टन	4/-	104000/-	13100/-	117100/-	क्षेत्रफल 0.9316 हैक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी
 दिनांक 28.04.2020

क्रमांक:-समसंख्यक- 780-82

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता - खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)-361305
2. खनि कार्यदेशक-11 कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी - 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली
 क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/93/2020/756

दिनांक 19/03/2021

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बोकस नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रुपये 1,21,700/- जरिये ई-चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 3,97,800/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 10,800/- जरिये ई-चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 35280/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 2,160/- जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रुपये 2,160/- जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	27,000 टन	4/-	1,08,000/-	13,700/-	1,21,700/-	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्त:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।



खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी

दिनांक 19/03/2024

क्रमांक:-समसंख्यक-757-761

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.111), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक: निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अद्वैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावे।
4. खनि कार्यदेशक-11 कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।





खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी



राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/94/2020/762

दिनांक 19/03/2021

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रुपये 1,21,700/- जरिये ई-चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 3,97,800/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 10,800/- जरिये ई-चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 35280/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 2,160/- जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रुपये 2,160/- जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उतरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	27,000 टन	4/-	1,08,000/-	13,700/-	1,21,700/-	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।


5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/कैचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगा।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।



खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी
दिनांक 19/03/2021

क्रमांक:-समसंख्यक- 763-767
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.॥॥), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक: निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अद्वैयता/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावे।
4. खनि कार्यदेशक-॥ कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।




19/3/2021
खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी


राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/95/2020/768

दिनांक 19/03/2021

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रुपये 1,21,700/- जरिये ई-चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 3,97,800/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 10,800/- जरिये ई-चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 35280/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 2,160/- जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रुपये 2,160/- जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) से जमा करा दिये गये हैं।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	27,000 टन	4/-	1,08,000/-	13,700/-	1,21,700/-	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी
 दिनांक 19/03/2021

क्रमांक:-समसंख्यक- 769-774

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.गा), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक: निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अद्वैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावे।
4. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।


 Received
 [Signature]


 19/3/2021
 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी


राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/96/2020/774

दिनांक 19/03/2021

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 32,600/- जरिये ई-चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 3,97,800/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 2,880/- जरिये ई-चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 35280/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 576/- जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 576/- जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 7056/-) से जमा करा दिये गये हैं।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	7,200 टन	4/-	28,800/-	3,800/-	32,600/-	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम-सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी
 दिनांक 19/03/2021

क्रमांक:-समसंख्यक- 775-779

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.गा), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक: निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अद्वैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावे।
4. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र)।


 Received
 S. J. Sidi


 19/3/2021
 खनि अभियन्ता,
 सोजत सिटी


राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

दिनांक 19/03/2021

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/97/2020/780

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे-रोड, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रुपये 3,82,600/- जरिये ई-चालान संख्या 40046379 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7,86,000/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 37,500/- जरिये ई-चालान 40046702 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 77,000/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 7,500/- जरिये डी.डी. संख्या 069253 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रु 9,000/-) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रुपये 7,500/- जरिये चालान संख्या 21098 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 15,400/-) से जमा करा दिये गये है।


अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उत्तरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	मुर्रम	15,000 टन	25/-	3,75,000/-	7,600/-	3,82,600/-	खसरा संख्या 58 राजस्व ग्राम-चोटिला तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


19/03/2021
खनि अभियन्ता,

सोजत सिटी
दिनांक 19/03/2021

क्रमांक:-समसंख्यक- 780-785
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.।।।), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक: निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अद्वैयता/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावें।
4. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।


Revised


खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी


राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांक:-खअ/सोजत/एसटीपी/नियम-51(9)(2)/98/2020/786

दिनांक 19/03/2021

:-अल्पावधि अनुमति पत्र:-

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रुपये 4,03,000/- जरिये ई-चालान संख्या 40046379 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 7,86,000/-) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रुपये 39,500/- जरिये ई-चालान 40046702 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रु 77,000/-) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रुपये 7,900/- जरिये डी.डी. संख्या 069251 व 069253 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि क्रमशः रु 6,400/- व 9,000/-) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रुपये 7,900/- जरिये चालान संख्या 21098 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रु 15,400/-) से जमा करा दिये गये हैं।

अतः एतद्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (ii) तथा नियम 74(i) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उतरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रु	परमिट फीस राशि रु	कुल राशि रु	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	मुर्रम	15,800 टन	25/-	3,95,000/-	8,000/-	4,03,000/-	खसरा संख्या 58 राजस्व ग्राम-चोटिला तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तें:-

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन्न हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भू-ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेंगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।


 खनि अभियन्ता,
 % सोजत सिटी
 दिनांक

क्रमांक:-समसंख्यक- 787 - 791
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.गा), निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांक: निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता- खामभालिया, पोस्ट बॉक्स नम्बर-24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अद्वैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावें।
4. खनि कार्यदेशक-II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी- प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारुखाना, रे-रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।


 Reena
 S. J. S. J.


 29/3/2021
 खनि अभियन्ता,
 % सोजत सिटी


e-Challan

Mines and Geology Department
Government of Rajasthan

GRN: 0039216292



Payment Date: 24/04/2020 16:47:35

Office Name: MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)

Location: SOJAT

Period: 01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	378300.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 378300.00

Three Lakh Seventy Eight Thousand Three Hundred Rupees and Zero Paise Only

Party Details:

Full Name: S.P. Construction

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): Jipur(302015)

Address:8B South Part Villa Prinsessa Krishna nagar gopal pura jaipur

Remarks:STP Royalty Fee and permit fee for 84000 MT earth work

Payment Details:

Bank: State Bank Of India

Challan No. - 0

Date: 24/04/2020 16:47:35

Bank CIN No: 000632604846324042020

Refrence No: CKM7010439

Computer generated copy on : 24/04/2020

Courtsy : <https://Egras.raj.nic.in>

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

Payment Date: 24/04/2020 16:57:23

GRN: 0039216321

Office Name: Treasury Office, Pall
Location: PALI
Period: 01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	33600.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	33600.00

Thirty Three Thousand Six Hundred Rupees and Zero Paise Only

Full Name: S.P. Construction		Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):		City(Pincode):	Jaipur(302015)
Address:8B SOUTH PART VILLA PRINSESSA KRISHNA NAGAR GOPALPURA JAIPUR		Remarks:DMFT FOR STP	

PdAccNo:- 6254-District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT)

Payment Details:		Challan No. - 0	
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	000632604880624042020
Date:	24/04/2020 16:57:23	Refrence No:	CKM7010844

Computer generated copy on : 24/04/2020

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

4/24/2020

Payment Successful

Bank of Baroda Internet Banking Services

Date: 24/04/20 6:19 PM

Taxpayers counterfoil

Taxpayers Counterfoil - Challan No. 281				For use in Receiving Bank
TAN	JDHM06761G			Debit to a/c on: 24-04-20 Bank of Baroda Law Garden Branch, Ahmedabad BSR CODE:0202976 Date Of Tender:24042020 Challan Serial No:00703 <u>Challan Identification</u> No: 02029762404202000703 RUPEES SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONLY
Received from (Name)	MINXXX XNGINEER MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT SOJAT CITY PALI			
Address	SOJAT CITY RAJASTHAN 306104			
Debit to A/c No.	45570200000023	For Rs.	6,720.00	
Tax	6,720.00			
Surcharge	0.00			
Education Cess	0.00			
Fee under sec. 234E	0.00			
Fee	0.00			
Interest	0.00			
Penalty	0.00			
Others	0.00			
Total Amount	6,720.00			
Rs.(in words)	RUPEES SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONLY			
With	Bank of Baroda, SOJAT CITY, RAJASTHAN			
(Name of the Bank and Branch)				
Company/Non-Company Deductees	(0021)Non company deductees			
on account of	TDS/TCS Payable by Taxpayer (200) from 6CH - Mining and Quarrying			
for the Assesement Year	2021-22			
Transaction Date and Time	24-04-2020 06:19:00			

S.P.Construction
PAN - AMQPK6976R

e-Challan

Treasury and Accounts Department

Government of Rajasthan

GRN: 0040045993



Office Name: Treasury Office, Pali
 Location: PALI
 Period: 18/06/2020-To-31/03/2021

Payment Date: 18/06/2020 16:54:05

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	35280.00
Thirty Five Thousand Two Hundred Eighty Rupees and Zero Paise Only Commission(-): Total/NetAmount:		0.00
		35280.00

Payee Details:

Full Name: NMCINDUSTRIES PVT LTD

Pan No.(If Applicable):

Address: 4TH LANE DARUKHANA REAY ROAD MUMBAI 10

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

City(Pincode): MUMBAI(400010)

Remarks: DMFT FOR STP

PdAccNo:- 6254-District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT)

Payment Details:

Bank: Union Bank
 Date: 18/06/2020 16:54:05

Challan No. - 0
 Bank CIN No: 029286101131218062020
 Refrence No: 37935877

Computer generated copy on : 18/06/2020

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

GRN: 0040046702



Payment Date: 18/06/2020 17:16:11

Office Name: Treasury Office, Pali
Location: PALI
Period: 18/06/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	77000.00
	Seventy Seven Thousand Rupees and Zero Paise Only	0.00
	Commission(-):	
	Total/NetAmount:	77000.00

Payee Details:

Full Name: NMCINDUSTRIES PVT LTD

an No.(If Applicable):

Address:4TH LANE DARUKHANA REAY ROAD MUMBAI 10

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

City(Pincode): MUMBAI(400010)

Remarks:DMFT FOR STP

PdAccNo:- 6254-District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT)

Payment Details:

Bank: Union Bank

Date: 18/06/2020 17:16:11

Challan No. - 0

Bank CIN No: 029286101132418062020

Reference No: 37936125

Computer generated copy on : 18/06/2020

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

e-Challan

Mines and Geology Department
Government of Rajasthan

GRN: 0040046379



Payment Date: 18/06/2020 17:05:57

Office Name: MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)
Location: SOJAT
Period: 18/06/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	786000.00
Seven Lakh Eighty Six Thousand Rupees and Zero Paise Only		786000.00
Commision(-):		0.00
Total/NetAmount:		786000.00

Payee Details:

Full Name: NMCINDUSTRIES PVT LTD

Pan No.(If Applicable):

Address:4TH LANE DARUKHANA REAY ROAD MUMBAI 10

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

City(Pincode): MUMBAI(400010)

Remarks:STP ROYALTY FEE AND PERMIT FEE FOR 22000 CUM MORRUM WORK

Payment Details:

Bank: Union Bank

Date: 18/06/2020 17:05:57

Challan No. - 0

Bank CIN No: 029286101131618062020

Refrence No: 37936029

Computer generated copy on : 18/06/2020

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

e-Challan

Mines and Geology Department
Government of Rajasthan

GRN: 0040045302



Office Name: MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)

Payment Date: 18/06/2020 16:39:03

Location: SOJAT

Period: 18/06/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	397800.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	397800.00

Three Lakh Ninety Seven Thousand Eight Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: NMCINDUSTRIES PVT LTD

Pan No.(If Applicable):

Address:4TH LANE DARUKHANA REAY ROAD MUMBAI 10

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

City(Pincode): MUMBAI(400010)

Remarks:STP ROYALTY FEES AND PERMIT FEE FOR 65000 CUM EARTH WORK

Payment Details:

Bank: Union Bank

Date: 18/06/2020 16:39:03

Computer generated copy on : 18/06/2020

Challan No. - 0

Bank CIN No: 029286101130018062020

Refrence No: 37935663

Courtsy : <https://Egras.raj.nic.in>

Direct Tax Challan Report

CHALLAN NO./ITNS 281	Tax Details Tax Applicable (0020)COMPANY DEDUCTEES Type of Payment Nature of Payment 6CH-Mining and Quarrying	Assessment Year 2021-22																																			
TAN Full Name Address	MUMN12242G NMC XXXXSTRIES PRIVATE LIMITED ,MUMBAI,MH,400010																																				
Details Of Payment																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Amount (in Rs Only)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Basic Tax</td><td>15400</td></tr> <tr><td>Surcharge</td><td>0</td></tr> <tr><td>Education Cess</td><td>0</td></tr> <tr><td>Interest</td><td>0</td></tr> <tr><td>Penalty</td><td>0</td></tr> <tr><td>Others</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fee</td><td></td></tr> <tr><td>Fee Under</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td>15400</td></tr> <tr><td>Total (in words)</td><td>Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only</td></tr> </tbody> </table>		Amount (in Rs Only)	Basic Tax	15400	Surcharge	0	Education Cess	0	Interest	0	Penalty	0	Others	0	Fee		Fee Under		Total	15400	Total (in words)	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Debit Account</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">361101010036100</td> </tr> <tr> <td>Date</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19062020</td> </tr> <tr> <td>Drawn On</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Union Bank of India Internet</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">CIN</td> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">BSR Code</td> <td style="width: 33%;">Tender Date</td> <td style="width: 33%;">Challan No.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0290179</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19062020</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20638</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Debit Account	361101010036100	Date	19062020	Drawn On	Union Bank of India Internet	CIN	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">BSR Code</td> <td style="width: 33%;">Tender Date</td> <td style="width: 33%;">Challan No.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0290179</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19062020</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20638</td> </tr> </table>	BSR Code	Tender Date	Challan No.	0290179	19062020	20638
	Amount (in Rs Only)																																				
Basic Tax	15400																																				
Surcharge	0																																				
Education Cess	0																																				
Interest	0																																				
Penalty	0																																				
Others	0																																				
Fee																																					
Fee Under																																					
Total	15400																																				
Total (in words)	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only																																				
Debit Account	361101010036100																																				
Date	19062020																																				
Drawn On	Union Bank of India Internet																																				
CIN	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">BSR Code</td> <td style="width: 33%;">Tender Date</td> <td style="width: 33%;">Challan No.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0290179</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19062020</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20638</td> </tr> </table>	BSR Code	Tender Date	Challan No.	0290179	19062020	20638																														
BSR Code	Tender Date	Challan No.																																			
0290179	19062020	20638																																			
Taxpayers Counterfoil	SPACE FOR BANK SEAL																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TAN</td><td>MUMN12242G</td></tr> <tr><td>Received From :</td><td>NMC XXXXSTRIES</td></tr> <tr><td>Debit Account :</td><td>361101010036100</td></tr> <tr><td>For Rs :</td><td>15400</td></tr> <tr><td>Rs (in words):</td><td>Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only</td></tr> <tr><td>Drawn On :</td><td>Union Bank of India Internet</td></tr> <tr><td>On Account of :</td><td>CHALLAN NO./ITNS 281</td></tr> <tr><td>Assessment Year</td><td>2021-22</td></tr> </table>	TAN	MUMN12242G	Received From :	NMC XXXXSTRIES	Debit Account :	361101010036100	For Rs :	15400	Rs (in words):	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only	Drawn On :	Union Bank of India Internet	On Account of :	CHALLAN NO./ITNS 281	Assessment Year	2021-22	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Payment Status :</td><td>Success</td></tr> <tr><td>Bank Reference No :</td><td>37942704</td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">CIN</td> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">BSR Code</td> <td style="width: 33%;">Tender Date</td> <td style="width: 33%;">Challan No.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0290179</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19062020</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20638</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>Bank Address :</td> <td colspan="2">2, 66/80, Mumbai Samachar Marg, Post Bag No. 253&518, Fort, Mumbai -400023</td> </tr> </table>		Payment Status :	Success	Bank Reference No :	37942704	CIN	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">BSR Code</td> <td style="width: 33%;">Tender Date</td> <td style="width: 33%;">Challan No.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0290179</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19062020</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20638</td> </tr> </table>	BSR Code	Tender Date	Challan No.	0290179	19062020	20638	Bank Address :	2, 66/80, Mumbai Samachar Marg, Post Bag No. 253&518, Fort, Mumbai -400023					
TAN	MUMN12242G																																				
Received From :	NMC XXXXSTRIES																																				
Debit Account :	361101010036100																																				
For Rs :	15400																																				
Rs (in words):	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only																																				
Drawn On :	Union Bank of India Internet																																				
On Account of :	CHALLAN NO./ITNS 281																																				
Assessment Year	2021-22																																				
Payment Status :	Success																																				
Bank Reference No :	37942704																																				
CIN	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">BSR Code</td> <td style="width: 33%;">Tender Date</td> <td style="width: 33%;">Challan No.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0290179</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19062020</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20638</td> </tr> </table>	BSR Code	Tender Date	Challan No.	0290179	19062020	20638																														
BSR Code	Tender Date	Challan No.																																			
0290179	19062020	20638																																			
Bank Address :	2, 66/80, Mumbai Samachar Marg, Post Bag No. 253&518, Fort, Mumbai -400023																																				

Direct Tax Challan Report

CHALLAN NO./ITNS 281	Tax Details		Assessment Year 2021-22
	Tax Applicable (0020)COMPANY DEDUCTEES		
	Type of Payment Nature of Payment	6CH-Mining and Quarrying	
TAN Full Name Address	MUMN12242G NMC XXXXSTRIES PRIVATE LIMITED ,MUMBAI,MH,400010		
Details Of Payment			
	Amount (in Rs Only)		
Basic Tax	7056	Debit Account <input type="text" value="361101010036100"/>	
Surcharge	0	Date <input type="text" value="19062020"/>	
Education Cess	0	Drawn On <input type="text" value="Union Bank of India Internet"/>	
Interest	0	BSR Code <input type="text" value="0290179"/> Tender Date <input type="text" value="19062020"/> Challan No. <input type="text" value="20625"/>	
Penalty	0	CIN <input type="text" value="0290179"/>	
Others	0		
Fee			
Fee Under			
Total	7056		
Total (in words)	Rupees Seven Thousand and Fifty Six only		
Taxpayers Counterfoil		SPACE FOR BANK SEAL	
TAN	MUMN12242G	Payment Status : Success	
Received From :	NMC XXXXSTRIES	Bank Reference No : 37942620	
Debit Account :	361101010036100	CIN <input type="text" value="0290179"/> BSR Code <input type="text" value="0290179"/> Tender Date <input type="text" value="19062020"/> Challan No. <input type="text" value="20625"/>	
For Rs :	7056	Bank 2, 66/80 , Mumbai Samachar Marg, Post Bag	
Rs (in words):	Rupees Seven Thousand and Fifty Six only	Address : No. 253&518, Fort, Mumbai -400023	
Drawn On :	Union Bank of India Internet		
On Account of :	CHALLAN NO./ITNS 281		
Assessment Year	2021-22		

e-Challan

Mines and Geology Department
Government of Rajasthan

GRN: 0047483926



Payment Date: 13/02/2021 18:52:43

Office Name: MINNING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)
Location: SOJAT
Period: 01/04/2020-To-30/06/2020

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	790000.00

Commision(-): 0.00
Total/NetAmount: 790000.00

Seven Lakh Ninety Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: NMCINDUSTRIES PVT LTD	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
No.(If Applicable):	City(Pincode): PALI(305901)
Address:rajasthan	Remarks: ROYALTY FEES AND PERMIT FEE

Payment Details:

Challan No. -	7316252
Bank: Union Bank	Bank CIN No: 029286109881113022021
Date: 13/02/2021 18:52:43	Refrence No: 508625044

Computer generated copy on : 16/02/2021

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

Direct Tax Challan Report

CHALLAN NO./ITNS 281	Tax Details		Assessment Year 2021-22
	Tax Applicable	(0021)NON-COMPANY DEDUCTEES	
	Type of Payment Nature of Payment	6CH-Mining and Quarrying	

TAN Full Name Address	JDHM06761G MINXXX XNGINEER MINES AND GEOLOGY ,SOJAT CITY,RJ,306104
-----------------------------	--

Details Of Payment		Debit Account	
	Amount (in Rs Only)		361101010036100
Basic Tax	15400	Date	17032021
Surcharge	0	Drawn On	Union Bank of India Internet
Education Cess	0	BSR Code	0290179
Interest	0	Tender Date	17032021
Penalty	0	Challan No.	21098
Others	0	CIN	0290179
Fee			
Fee Under	15400		
Total	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only		
Total (in words)			

Taxpayers Counterfoil		SPACE FOR BANK SEAL	
TAN	JDHM06761G	Payment Status :	Success
Received From :	MINXXX XNGINEER	Bank Reference No :	502722074
Debit Account :	361101010036100	BSR Code	0290179
For Rs :	15400	Tender Date	17032021
Rs (In words):	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only	Challan No.	21098
Drawn On :	Union Bank of India Internet	Bank	2, 66/80 , Mumbai Samachar Marg, Post Bag
On Account of :	CHALLAN NO./ITNS 281	Address :	No. 253&518, Fort, Mumbai -400023
Assessment Year	2021-22		

Ref No.	खनिज मात्र	शेअरही 2191	TCS
20201000020913	मुर्मि 1500000	3,75,000/-	7500/-
20201000020915	मुर्मि 1580000	3,95,000/-	7900/-
			<u>15400/-</u>



Direct Tax Challan Report

CHALLAN NO./ITNS 281	Tax Applicable	(0021)NON-COMPANY DEDUCTEES	Assessment Year 2021-22
	Type of Payment		
	Nature of Payment	6CH-Mining and Quarrying	

TAN: JDHM06761G
 Full Name: MINXXX XNGINEER MINES AND GEOLOGY
 Address: ,SOJAT CITY,RJ,306104

Details Of Payment

	Amount (in Rs Only)
Basic Tax	7056
Surcharge	0
Education Cess	0
Interest	0
Penalty	0
Others	0
Fee	
Fee Under	
Total	7056
Total (in words)	Rupees Seven Thousand and Fifty Six only

Debit Account: 361101010036100
 Date: 17032021
 Drawn On: Union Bank of India Internet
 CIN: 0290179 BSR Code: 0290179 Tender Date: 17032021 Challan No.: 21112

Taxpayers Counterfoil

TAN: JDHM06761G
 Received From: MINXXX XNGINEER
 Debit Account: 361101010036100

For Rs: 7056
 Rs (in words): Rupees Seven Thousand and Fifty Six only

Drawn On: Union Bank of India Internet
 On Account of: CHALLAN NO./ITNS 281
 Assessment Year: 2021-22

SPACE FOR BANK SEAL

Payment Status: Success
 Bank Reference No: 502722182

CIN: 0290179 BSR Code: 0290179 Tender Date: 17032021 Challan No.: 21112

Bank Address: 2, 66/80, Mumbai Samachar Marg, Post Bag No. 253&518, Fort, Mumbai -400023

Ref. No.	खर्च	माता	रकम	TCS
2020100020908	साधारण	27,000 MT	1,08,000/-	2,160/-
20201000020910	-d-	27,000 MT	1,08,000/-	2,160/-
20201000020911	-d-	27,000 MT	1,08,000/-	2,160/-
20201000020912	-d-	7,200 MT	28,800/-	576/-
			कुल	7,056/-

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

GRN: 0049620371



Payment Date: 15/04/2021 15:50:31

Office Name: Treasury Office, Udaipur

Location: Udaipur City

Period: 01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8342-00-120-68-00-राजस्थान स्टेट मिनेरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)	4056.00
Commision(-):		0.00
Total/NetAmount:		4056.00

Four Thousand Fifty Six Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: NMCINDUSTRIES PVT LTD	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode):	PAL(305901)
Address:rajasthan	Remarks:	

PdAccNo:- 18400-Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET)

Payment Details:		Challan No. - 0	
Bank:	Union Bank	Bank CIN No:	029286102432315042021
Date:	15/04/2021 15:50:31	Reference No:	503326950

Computer generated copy on : 15/04/2021

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

GRN No. 0049620371 Rs. 4056/- Date 15/04/2021
 GRN No. 0049564185 Rs. 18400/- Date 12/04/2021

Total Rs. 22456/-

~~Rs. 6100/- STP No.~~
 Rs. 2160/- STP No. 93/2020
 Rs. 2160/- STP No. 94/2020
 Rs. 2160/- STP No. 95/2020
 Rs. 576/- STP No. 96/2020
 Rs. 7500/- STP No. 97/2020
 Rs. 7900/- STP No. 98/2020

Total Rs. 22456/-

e-Challan

Treasury and Accounts Department

Government of Rajasthan

GRN 0049564185



Payment Date 12/04/2021 18:59:59

Office Name: Treasury Office, Udaipur
 Location: Udaipur City
 Period: 12/04/2021 To 30/04/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount
1	8342-00-120-08-00-राजस्थान स्टेट मिनेरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET) Commission(-) Total/NetAmount	18400.00 18400.00
Eighteen Thousand Four Hundred Rupees and Zero Paise Only		

Payee Details:

Full Name: NMCINDUSTRIES PVT LTD
 Pan No (If Applicable):
 Address: rajasthan

Tin/Actl.No./vehicleNo./Taxid:
 City(Pincode): PALI(305901)
 Remarks:

PdAccNo - 18400-Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET)

Payment Details:

Bank: Union Bank
 Date: 12/04/2021 18:59:59

Challan No: 0
 Bank CIN No: 029286102357212042021
 Refrence NO: 503287811

Computer generated copy on: 12/04/2021

Courtesy: <https://Egras.raj.nic.in>

GRN No. - 0049620371 Rs. 4056/- Date 15/04/2021

GRN No. - 0049564185 Rs. 18400/- Date 12/04/2021

Total Rs. 22456/-

Rs. 2160/- STP No. 93/2020

Rs. 2160/- STP No. 94/2020

Rs. 2160/- STP No. 95/2020

Rs. 576/- STP No. 96/2020

Rs. 7500/- STP No. 97/2020

Rs. 7900/- STP No. 98/2020

Total Rs. 22456/-

e-Challan

Mines and Geology Department
Government of Rajasthan

GRN: 0047499796



Payment Date: 15/02/2021 10:54:43

Office Name: MINNING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)

Location: SOJAT

Period: 15/02/2021-To-28/02/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	500000.00
Commision(-):		0.00
Total/NetAmount:		500000.00

Five Lakh Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: Shashipal Kumawat	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pin No.(If Applicable):	City(Pincode):	Jaipur(302015)
Address:B34 Basement Devi Chirinjivi Colony Gopalpura Bypass	Remarks:Royalty Charges SP Construction	

Payment Details:

Bank:	State Bank Of India	Challan No. -	0
Date:	15/02/2021 10:54:43	Bank CIN No:	000632642690315022021
		Refrence No:	CKP5258686

Computer generated copy on : 15/02/2021

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

e-Challan

Mines and Geology Department
Government of Rajasthan

GRN: 0047500417



Payment Date: 15/02/2021 11:02:51

Office Name: MINING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)
Location: SOJAT
Period: 15/02/2021-To-28/02/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	10000.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	10000.00

Ten Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: Shashipal Kumawat	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
No.(If Applicable):	City(Pincode): Jaipur(302015)
Address:B34 Basement Devi Chirinjivi Colony Gopalpura Bypass	Remarks:Permit Fee SP Construction

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India	Bank CIN No: 000632642841415022021
Date: 15/02/2021 11:02:51	Refrence No: CKP5260668

Computer generated copy on : 15/02/2021

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

GRN: 0047505097



Payment Date: 15/02/2021 11:50:42

Office Name: Sub. Treasury Officer, Sojat

Location: SOJAT

Period: 15/02/2021-To-28/02/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	50000.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 50000.00

Fifty Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: Shashipal Kumawat	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Fan No.(If Applicable):	City(Pincode):	Jaipur(302015)
Address:B34 Basement Devi Chirinjivi Colony Gopalpura Bypass	Remarks:DMFT SP Construction	

PdAccNo:- 6254-District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT)

Payment Details:		Challan No. - 0	
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	000632643638715022021
Date:	15/02/2021 11:50:42	Refrence No:	CKP5275880

Computer generated copy on : 15/02/2021

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

Tax Payer Counterfoil

TAN **JDHS17438B**

Received from : SASXX XXL KUMAWAT

Rs : **10000/-**

(in words) : Ten Thousand Rupees Only

Drawn On : **Internet Banking through SBI**

**TAN ON ACCOUNT OF INCOME TAX
ON: Major Head :NON COMPANY
DEDUCTEES[0021]**

**Minor Head : TDS/TCS Payable by
Taxpayer [200]**

**Nature of payment :Mining and
Quarrying[6CH]**

For the assessment year : **2021-22**

Payment Status :

Success

SBI Ref No. : **CKP5279831**

	BSR Code	Tender date	Challan No
CIN	0013283	150221	01447
Date of challan :	15-02-2021		

State Bank of India

Gandhinagar

Bangalore

(Internet Collection Center)

Tax Payer CounterfoilTAN **JDHM06761G**Received from : MINXXX XNGINEER MINES
AND GEOLOGY DEPARTMENT SOJAT CITY
PALIRs : **10100/-**(in words) : Ten Thousand And One Hundred
Rupees OnlyDrawn On : **Internet Banking through SBI**TAN ON ACCOUNT OF INCOME TAX
ON: Major Head :NON COMPANY
DEDUCTEES[0021]
Minor Head : TDS/TCS Payable by
Taxpayer [200]
Nature of payment :Mining and
Quarrying[6CH]For the assessment year : **2021-22**

Payment Status :

SuccessSBI Ref No. : **CKP6724499**

	BSR Code	Tender date	Challan No
CIN	0014431	010321	03794
Date of challan :	01-03-2021		

State Bank of India
Gandhinagar
Bangalore
(Internet Collection Center)

STP - B/57/2021

→ SP. Construction

PAN No. → AMQPK6976R

NAME → SHASHIPAL KUMAWAT

DOB → 05/07/1967

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

GRN: 0049552447



Payment Date: 12/04/2021 15:22:10

Office Name: Treasury Office, Udaipur

Location: Udaipur City

Period: 12/04/2021-To-30/04/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8342-00-120-68-00-राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)	10000.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 10000.00

Ten Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: SPConstruction Kumawat	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode):	Jaipur(302015)
Address:B34 Devi Chirinjivi Colony Gopalpura byepass	Remarks:	

PdAccNo:- 18400-Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET)


Payment Details:

Challan No. - 0	
Bank: State Bank Of India	Bank CIN No: 000632629834312042021
Date: 12/04/2021 15:22:10	Refrence No: CKQ2126959

Computer generated copy on : 12/04/2021

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

Photographs taken by the team on 18.11.2022 during joint inspection



गुहिया बाला



पुतलिया नाडा



बान्डाई नाडी



पुतलिया नाडा



पुतलिया नाडा



सवाईपूरा, चोटिला रोहट

Photographs taken by the team on 18.11.2022 during joint inspection of STP area



सवाईपूरा, चोटिला रोहट

S.P. CONSTRUCTION
B-34 Devi Chirinjivi Colony
Behind Gangotri Garden, Gopalpura Bypass Road
Jaipur

Oma Ram Pali Nayara Energy
Ledger Account

1-Apr-2019 to 30-Nov-2022

Date	Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
2-1-2020	To Union Bank of India(36708)	Payment	440451	1,00,000.00	
17-1-2020	To Union Bank of India(36708)	Payment	444586	13,125.00	
1-2-2020	By Machinery Hiring Charges Nayara Energy	Journal	N/RA1		84,485.00
15-2-2020	To Union Bank of India(36708)	Payment	444615	44,485.00	
				1,57,610.00	84,485.00
	By Closing Balance				73,125.00
				1,57,610.00	1,57,610.00
1-4-2020	To Opening Balance			73,125.00	
15-6-2020	To Cash	Payment		9,875.00	
18-6-2020	To Cash	Payment		9,500.00	
24-6-2020	To Cash	Payment		7,500.00	
31-7-2020	To Union Bank of India(50353)	Payment		1,90,000.00	
				2,90,000.00	
	By Closing Balance				2,90,000.00
				2,90,000.00	2,90,000.00

High Court of Rajasthan- Rajasthan High Court Principal Seat Jodhpur

Rajasthan High Court Principal Seat Jodhpur Case Details

Case Type	: CRLMP	
Filing Number	: 12175/2020	Filing Date: 30-06-2020
Registration Number	: 1582/2020	Registration Date: 30-06-2020
CNR Number	: RJHC01-025298-2020	

Case Status

First Hearing Date	:	
Decision Date	: 23rd September 2022	
Case Status	: CASE DISPOSED	
Nature of Disposal	: Contested--DISMISSED	
Coram	: 1636PUSHPENDRA SINGH BHATI	
Bench	: Single Bench	
Judicial	: CRIMINAL	
Causelist Name	: Daily	

Petitioner and Advocate

<p>1) MANGILAL</p> <p style="padding-left: 20px;">Advocate- VIPUL SINGHVI</p> <p>2) OMARAM</p> <p>3) GIRDHARI</p> <p>4) MANGLA RAM</p> <p>5) BHANWARLAL</p> <p>6) CHAINARAM</p> <p>7) NARAYAN LAL</p> <p>8) CHAGANLAL</p> <p>9) MADANLAL</p> <p>10) MANARAM</p> <p>11) PARASRAM</p> <p>12) SHYAMLAL</p> <p>13) KELADEVI</p> <p>14) GHISIDEVI</p> <p>15) INDRA DEVI</p> <p>16) SAYARIDEVI</p> <p>17) RAZAK KHA</p>

Respondent and Advocate

<p>1) STATE</p> <p style="padding-left: 20px;">Advocate - PP</p> <p>2) AVNISH CHOUDHARY</p> <p style="padding-left: 20px;">Advocate-PREM DAYAL BOHRA</p> <p style="padding-left: 20px;">,SUNIL VYAS</p> <p style="padding-left: 20px;">Mahendra Gehlot</p>
--

Acts

Under Act(s)	Under Section(s)
--------------	------------------

Other Acts	482
------------	-----

IA Details

IA Number	Party	Date of Filing	Next Date	IA Status
APPLR/1/2021	MANGILAL STATE	02-12-2021	--	Pending

Sub Matters

Case Number :	RSTAY/1519/2020
---------------	-----------------

FIR Details

State	: RAJASTHAN
District	: PALI
Police Station	: ROHAT
FIR Number	: 164
Year	: 2020

History of Case Hearing

Cause List Type	Judge	Business On Date	Hearing Date	Purpose of hearing
	PUSHPENDRA SINGH BHATI			Disposed

Orders

Order Number	Judge	Order Date	Order Details
1	MANOJ KUMAR GARG	20-07-2020	
2	PUSHPENDRA SINGH BHATI	23-09-2022	

Category Details

Category	Criminal misc. petitions under Section 482 Cr.P.C. (204)
Sub Category	CR.MISC.PETITION - QUASHING THE FIR - IPC (55)

OBJECTION

Sr.No.	Scrutiny Date	OBJECTION	Compliance Date	Receipt Date
1	30-06-2020	1) Defect - Certified copy of FIR has not been filed.	30-06-2020	--
2	03-07-2020	All Objections are Complied	30-06-2020	--

Document Details

Sr. No.	Document No.	Date of Receiving	Filed by	Name of Advocate	Document Filed
1	1	02-07-2020	MANGILAL	MAHESH KHYANI	CERTIFIED COPY
2	2	23-07-2020	MANGILAL	MAHESH KHYANI	EXTRA SET
3	3	26-08-2020	AVNISH CHOUDHARY	PREM DAYAL BOHRA	VAKALATNAMA
4	4	10-12-2020	MANGILAL	FARZAND ALI SYED	REPLY
5	5	31-01-2022	MANGILAL	VIPUL SINGHVI	VAKALATNAMA

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 1582/2020

1. Mangilal S/o Kistur Ram, Aged About 70 Years,
2. Omaram S/o Manglaram, Aged About 26 Years,
3. Girdhari S/o Mangla Ram, Aged About 45 Years,
4. Manglaram S/o Dhanaram, Aged About 54 Years,
5. Bhanwarlal S/o Mangilal, Aged About 45 Years,
6. Chainaram S/o Narayanlal, Aged About 28 Years,
7. Narayan Lal S/o Kistur Ram, Aged About 62 Years,
8. Chaganlal S/o Rooparam, Aged About 32 Years,
9. Madanlal S/o Mangilal, Aged About 40 Years,
10. Manaram S/o Moolaram, Aged About 30 Years,
11. Parasram S/o Rooparam, Aged About 36 Years,
12. Shyamlal S/o Rooparam, Aged About 42 Years,
13. Keladevi W/o Bhanwarlal, Aged About 42 Years,
14. Ghisidevi W/o Narayanlal, Aged About 58 Years,
15. Indra Devi W/o Madanlal, Aged About 37 Years,
16. Sayaridevi W/o Mangilal, Aged About 65 Years,
All By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali
(Rajasthan).
17. Razak Kha S/o Jamal Kha, Aged About 35 Years, By Caste
Muslim, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali
(Rajasthan).

----Petitioners

Versus

1. State, Through P.p.
2. Avnish Choudhary S/o Manikant Choudhary, By Caste
Choudhary, R/o 59, Chandoli, District Samastipur, Bihar
At Present R/o Nawara Energy Lmt. Sawaipur, Tehsil
Rohat, District Pali (Rajasthan).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Mahesh Khyani
For Respondent(s)	:	Mr. Mukesh Trivedi, Pp

HON'BLE MR. JUSTICE MANOJ KUMAR GARG**Judgment / Order****20/07/2020**

Heard.


Issue notice. Learned Public Prosecutor accepts notices on behalf of respondent No.1-State. Issue notice to the respondent No.2 only. Rule is made returnable within four weeks.

Heard on the stay application.

In the meanwhile and till next date of hearing, no coercive action shall be taken against the petitioners in pursuance of FIR No.164/2020, PS Rohat, Pali for offences under Sections 147, 148, 149, 323, 447, 427, 392 IPC. However, they shall join the investigation.

(MANOJ KUMAR GARG),J

83-MS/-



सत्यमेव जयते

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 1582/2020

1. Mangilal S/o Kistur Ram, Aged About 70 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
2. Omaram S/o Manglaram, Aged About 26 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
3. Girdhari S/o Mangla Ram, Aged About 45 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
4. Mangla Ram S/o Dhanaram, Aged About 54 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
5. Bhanwarlal S/o Mangilal, Aged About 45 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
6. Chainaram S/o Narayanlal, Aged About 28 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
7. Narayan Lal S/o Kistur Ram, Aged About 62 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
8. Chaganlal S/o Rooparam, Aged About 32 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
9. Madanlal S/o Mangilal, Aged About 40 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
10. Manaram S/o Moolaram, Aged About 30 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
11. Parasram S/o Rooparam, Aged About 36 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
12. Shyamlal S/o Rooparam, Aged About 42 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
13. Keladevi W/o Bhanwarlal, Aged About 42 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
14. Ghisidevi W/o Narayanlal, Aged About 58 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
15. Indra Devi W/o Madanlal, Aged About 37 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).
16. Sayaridevi W/o Mangilal, Aged About 65 Years, By Caste Jat, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).

17. Razak Kha S/o Jamal Kha, Aged About 35 Years, By Caste Muslim, R/o Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).

----Petitioners

Versus

1. State, Through P.p.
2. Avnish Choudhary S/o Manikant Choudhary, By Caste Choudhary, R/o 59, Chandoli, District Samastipur, Bihar At Present R/o Nawara Energy Lmt. Sawaipur, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Prameshwar Paliania
For Respondent(s)	:	Mr. Mahipal Bishnoi, PP Mr. Prem Dayal Bohra

HON'BLE DR. JUSTICE PUSHPENDRA SINGH BHATI

Order

23/09/2022

Learned counsel for the parties jointly submit that on account of compromise arrived at between the parties, the present petition has become infructuous.

On joint submission, the present petition is dismissed as having become infructuous. All pending applications stand disposed of.

(DR.PUSHPENDRA SINGH BHATI), J.

68-Zeeshan